

Form No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

अतिरिक्त जिला कलक्टर

मुकाम

जोधपुर (ग्रामीण)

प्रार्थी

बनाम


अप्रार्थी

किरताराम पुत्र आदुराम, जाति जाट, निवासी
ग्राम मानसागर डांवर, तहसील बावड़ी, जिला
जोधपुर।

मोटाराम पुत्र जोगाराम, जाति जाट,
निवासी ग्राम मानसागर डांवर,
तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर वगैरा।

किस्म मुकदमा राजस्व विविध प्रार्थना-पत्र नं. 01

सन 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व इस हुकम तारीख अहकाम की तारीख में जारी हुए
13.09.2023	<p>राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त 2023 की अनुपालना में जिला जोधपुर (ग्रामीण) का नवगठन होने तथा न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) के आदेश क्रमांक/डी.एम./रीडर/2023/01 दिनांक 05.09.2023 की अनुपालना में प्रकरण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से प्रकरण सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली आईन्दा दिनांक 27.02.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर(ग्रामीण) </p>	
27.2.24	<p>पत्रावली आज पेश हुई। श्रीमान P.O. महो. आज <u>27.2.24</u> को पत्रावली पूर्व आदेश की पत्रावली दिनांक <u>13.5.2024</u> को पेश है। B.O.</p>	
13-5-2024	<p>पत्रावली आज पेश हुई। श्रीमान P.O. महो. आज <u>13.5.2024</u> को पत्रावली पूर्व आदेश की पत्रावली दिनांक <u>13.5.2024</u> को पेश है। B.O.</p>	
10 07 / 24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता को पिछले 5 वर्षों से अग्रणी सख्या 01 का नोटिस पेश करने हेतु निर्देश दिये जा रहे हैं लेकिन प्रार्थी अधिवक्ता ने आज दिनांक तक अग्रणी सख्या 01 का नोटिस पेश नहीं किया है। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता को आवाजे क्लिक गरी</p>	

FORM No. 123
(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)


CNR NUMBER 2023/441

Court of at

Kind of the Case राजस्व वि. प्र. प्र.

Number of Case 01 / Year 2023

फिरताराम Versus मोराराम वर्गरेहा

Date.	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	<p>आवाजे दिलवाने के उपरान्त भी डाक में अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः पत्रावली अद्यतन हाजरी व अद्यतन पेशी में धारण की जायी है। अधिवक्ता न्यायालय का भूल अमिलेख आदेश की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फेंसल शुभारंभ होकर दायित्व दायर हो।</p> <p></p> <p>अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)</p>	